न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 153/2017 — दायर दिनांक–29.08.2017

1. पंकज कुमार पुत्र यशपाल सिंह जाति जाट निवासी टौंक छिलरी तहसील नवलगढ जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी यशपाल जाति जाट निवासी टौंकछिलरी तहसील नवलगढ़।

–वादी

बनाम

1. हरलाल सिंह उर्फ हरपाल पुत्र कुम्भाराम
2. यशपाल पुत्र हरलाल सिंह उर्फ हरपाल जाति जाट निवासी टौंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री सुरेश कुमार सीगड़
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक–16.04.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 906, 907, 908, 909, 910, 911 रकबा क्रमशः 0.73, 0.70, 0.34, 0.02, 0.75, 0.79 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.33 है0, भूमि खसरा नम्बर 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 961 रकबा क्रमशः 0.04, 0.07, 0.23, 0.70, 0.02, 0.70, 0.05, 0.31, 0.02, 0.42, 0.20, 0.20, 0.28, 0.41 कुल किता 14 कुल रकबा 3.64 है0, भूमि खसरा नम्बर 291, 292, 293, 294 रकबा क्रमशः 0.20, 0.20, 0.22, 0.22 कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 है0, भूमि खसरा नम्बर 276, 277 रकबा क्रमशः 1.80, 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.30 है0 भूमि के संबंध में प्रतिवादी नं0 1 व 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी नं0 1 विक्रय नही करें तथा किसी भी दस्तावेज द्वारा वादग्रस्त भूमि के स्थानांतरण का किसी किश्म का दस्तावेज निष्पादित नही करे, पंजीबद्व नही करवाये तथा प्रतिवादी नं0 3 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत हस्तांतरण का कोई दस्तावेज पेश करने पर पंजीबद्व नही करे।

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश जबाब दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किः– वादग्रस्त आराजी जबाबदेहन्दा की स्वअर्जित संपति है। जिसमें वादी का कोई हक हिस्सा नही है। वादी को कोई अधिकार नही है कि वह जबाबदेहंदा को उसकी स्वअर्जित संपति में किसी भी प्रकार के उपयोग उपभोग से वंचित करें तथा स्वअर्जित संपति में किसी का भी हक अधिकार जन्म लेने से प्राप्त नही होता है। चुंकि उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित संपति है जिसका उसे उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। तथा किसी अन्य व्यक्ति के हक अधिंकार प्रभावित नही होते है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का रिकोर्डेड खातेदार है। वादी का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नही है तथा ना ही वादी ने किसी प्रकार की उक्त भूमि बाबत घोषणा चाही है। वादी उक्त आराजी में [illegible]दार है ना ही किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा की रिलिफ चाही है। प्रतिवादी नं. 1 को आराजी खातेदारी भूमि के बाबत समस्त हक अधिकार प्रज्ञपत है जिसे कानूनन किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी कर उसको उसकी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नही किया जा सकता है।

वादी को वाद पेश करने हेतु कोई भी वादकारण पैदा नही हुआ। वादी ने मात्र काल्पनिक व मनघडंत वाद कारण दर्ज करते हुए वाद पत्र पेश किया है जो वाद कारण के अभाव मे खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:33:04 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

अतिरिक्त उत्तर

वादग्रस्त आराजी में वादी का कोई हक हिस्सा नही है और ना ही वादी ने सम्पूर्ण दावे मे अपना हक हिस्सा होने का कोई कथन किया है और ना ही उसकी घोषणा का अनुतोष चाहा है। वादी ने सम्पूर्ण दावे में कही पर भी यह दर्ज नही किया है कि वादी का सम्पूर्ण आराजी मे कितना हिस्सा है तथा किस विधि के तहत वादग्रस्त आराजी में वादी का हित है ऐसा कोई भी तथ्य दर्ज नही किया है। उत्तरदाता वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी की भूमि में तमाम हक अधिकार अर्जित है।

वादी ने उक्त आराजी के संबंध में उनवानी प्रियंका बनाम हरलाल सिंह मु0 नं0 165/2009 अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत वाद में व पूर्व में प्रस्तुत वाद में समान अनुतोष चहा है पूर्व वाद में दिनांक 10.06.2009 को धमकी देने के कारण वाद कारक पैदा होना दर्ज किया गया है। जो वाद दिनांक 11.07.2017 वादी द्वारा प्रत्याहरण करलिया गया है इस कारण वादी को मियाद अवधि दिनांक 10.06.2009 में प्रारम्भ होकर तीन वर्ष के भीतर समाप्त हो गई है इसलिए प्रस्तुत पश्चातवर्ती वाद मियाद बाहर होने से काबिल ए खारिज है।

वादी ने प्रतिवादी नं0 3 उपपंजीयक को पक्षकार बनाया है। जो लोकसेवक है तथा राज्य सरकार का अधिकारीं है जिसक लिए लोक सेवक को पक्षकार संयोजित करने पर आदेश 27 नियम 5 के तहत राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जो प्रस्तुत वाद मे नही बनाया गया है। इसलिए वाद खारिज योग्य है।

वादी ने उक्त आराजी के संबंध में पूर्व में एक वाद मु0 नं0 165/09 पेश किया था जिसे दिनांक 11.07.2014 को प्रत्याहरण कर लिया गया था इसलिए वादी को उन्ही तथ्यों के आधार पर पुनः वाद पेश करने का कोई हक अधिकार नही है।

अतः जबाब दावा मय अतिरोक्तर पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

1. तनकी नं0 1 :– आया वाके ग्राम टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 906, 907, 908, 909, 910, 911 रकबा क्रमशः 0.73, 0.70, 0.34, 0.02, 0.75, 0.79 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.33 है0 में प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा 5/16 भूमि खसरा नम्बर 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 961 रकबा क्रमशः 0.04, 0.07, 0.23, 0.70, 0.02, 0.70, 0.05, 0.31, 0.02, 0.42, 0.20, 0.20, 0.28, 0.41 कुल किता 14 कुल रकबा 3.64 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/16 हिस्सा, भूमि खसरा नम्बर 291, 292, 293, 294 रकबा क्रमशः 0.20, 0.20, 0.22, 0.22 कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/16 हिस्सा तथा भूमि खसरा नम्बर 276, 277 रकबा क्रमशः 1.80, 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.30 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/16 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यह भूमि वादी की पैत्रिक भूमि है। प्रतिवादी नं0 1 वादी का दादा है। प्रतिवादी नं0 1 व 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त भूमि का विक्रय नही करे, किसी दस्तावेज के द्वारा वादग्रस्त आराजी के स्थानान्तरण को किसी किस्म का दस्तावेज निष्पादित नही करें।

भा.स.वादी

2. तनकी नं0 2 :– आया उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पैत्रिक भूमि नही होकर स्वअर्जित संपति है जिसमें वादी का कोई हक हिस्सा नही है।

भा.स.प्रतिवादी नं0 1

3. तनकी नं0 3 :– आया वादग्रस्त आराजी में वादी का को... नही है तथा ना ही दावे मे किसी हक हिससे की घोषणा का ... वाद चलने योग्य नही है अतः खारिज किया जा...

भा.स.प्रतिवादी नं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:33:04 IST
Reason: SelfAttested

4. दादरशीः–

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री प्रदिप कुमार झाझड़िया ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जबाब दावा पेश होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु सुमित्रा देवी, सुखदेव तथा पंकजे उप0 होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वकील प्रतिवादी ने शहादत नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2030–33 प्रदर्श 2 नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श 3 नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श 4 नकल मिलान क्षैत्रफल वर्ष 1985 प्रदर्श 5 नकल जमाबंदी सम्वत सम्वत 2047–50 प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी सम्वत 2047–50 प्रदर्श 7 नकल जमाबंदी सम्वत 2051–54 प्रदर्श 8 नकल जमाबंदी सम्वत 2051–54 प्रदर्श 9 नकल जमाबंदी सम्वत् 2055–58 प्रदर्श 10 नकल जमाबंदी सम्वत 2059–2062 प्रदर्श 11 नकल जमाबंदी सम्वत् 2059–2062 प्रदर्श 12 नकल जमाबंदी सम्वत 2059–62 प्रदर्श 13 नकल जमाबंदी समवत 2063–66 प्रदर्श 14 नकल जमाबंदी समवत 2063–66 प्रदर्श 15 नकल जमाबंदी सम्वत 2063–66 प्रदर्श 16 नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 प्रदर्श 17 नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 प्रदर्श 18 नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70 आदि दस्तावेज पेश किये।

वकील प्रतिवादी की ओर से No instruction करने पर तनकीवार विवेचन किये जाने की आवश्यकता नही है। बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैत्रिक भूमि है जिसमें वादी का हक हिस्सा निहित है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त भूमि के बेचान नही करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 906, 907, 908, 909, 910, 911 रकबा क्रमशः 0.73, 0.70, 0.34, 0.02, 0.75, 0.79 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.33 है0, भूमि खसरा नम्बर 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 961 रकबा क्रमशः 0.04, 0.07, 0.23, 0.70, 0.02, 0.70, 0.05, 0.31, 0.02, 0.42, 0.20, 0.20, 0.28, 0.41 कुल किता 14 कुल रकबा 3.64 है0, भूमि खसरा नम्बर 291, 292, 293, 294 रकबा क्रमशः 0.20, 0.20, 0.22, 0.22 कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 है0, भूमि खसरा नम्बर 276, 277 रकबा क्रमशः 1.80, 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.30 है0 भूमि के संबंध में प्रतिवादी सं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि का बेचान/विक्रय नही करें ना ही किसी प्रकार का हस्तांतरण दस्तावेज तस्दीक करवाये। प्रतिवादी संख्या 03 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का विक्रय व स्थानान्तरण दस्तावेज तस्दीक नही करें। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फर्स्ट–एक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:33:04 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 153/2017 **(पंकज बनाम हरलाल आदि)**

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 16.04.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम टौंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 906, 907, 908, 909, 910, 911 रकबा क्रमशः 0.73, 0.70, 0.34, 0.02, 0.75, 0.79 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.33 है0, भूमि खसरा नम्बर 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 961 रकबा क्रमशः 0.04, 0.07, 0.23, 0.70, 0.02, 0.70, 0.05, 0.31, 0.02, 0.42, 0.20, 0.20, 0.28, 0.41 कुल किता 14 कुल रकबा 3.64 है0, भूमि खसरा नम्बर 291, 292, 293, 294 रकबा क्रमशः 0.20, 0.20, 0.22, 0.22 कुल किता 4 कुल रकबा 0.84 है0, भूमि खसरा नम्बर 276, 277 रकबा क्रमशः 1.80, 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.30 है0 भूमि के संबंध में प्रतिवादी सं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि का बेचान/विक्रय नही करें ना ही किसी प्रकार का हस्तांतरण दस्तावेज तस्दीक करवाये। प्रतिवादी संख्या 03 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का विक्रय व स्थानान्तरण दस्तावेज तस्दीक नही करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.04.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर ए एस)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मुहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:33:04 IST
Reason: SelfAttested